



2026:AHC-LKO:41632

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2422 वर्ष 2026

तुषार वर्मा एवं अन्य

..... आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ के माध्यम से एवं 2
अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता	: अमोल कुमार श्रीवास्तव
विपक्षीगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए)

न्यायालय कक्ष सं. - 12माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र

वर्तमान आपराधिक विविध प्रार्थना पत्र, धारा 528 बी.एन.एस.एस./धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त आवेदकगण ने वाद संख्या 35276 वर्ष 2026, जिसका शीर्षक “उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इंद्रेश शर्मा एवं अन्य”, धारा 351(3), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत है, की आक्षेपित कार्यवाही, दिनांक 22.02.2026 की आरोप-पत्र तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 27.02.2026 के समन आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना की है। उक्त कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.01.2026, एफ.आई.आर. संख्या 0002/2026, धारा 351(3), 109,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना कृष्णा नगर, जनपद लखनऊ में दर्ज किए जाने से उद्भूत है।

इसी मामले में इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 1193 वर्ष 2026 में पूर्व में दिनांक 15.05.2026 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसे निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है :

“श्री अमोल कुमार, अधिवक्ता ने आवेदकगण की ओर से वकालतनामा दाखिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उसे अभिलेख पर लिया जाता है।”

“आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और वर्तमान आवेदन का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रार्थना पत्र वाद संख्या 65276/2026, जिसका शीर्षक ‘उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इंद्रेश शर्मा उर्फ दीपक एवं अन्य’ है, से संबंधित आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है। उक्त कार्यवाही एफ.आई.आर. संख्या 2/2026, धारा 351(3), 109 एवं 3(5) भारतीय दण्ड संहिता, थाना कृष्णा नगर, जनपद लखनऊ में दर्ज एफ.आई.आर. से उद्भूत है तथा याचिकाकर्तागण के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सप्तम, लखनऊ के न्यायालय में लंबित है। उक्त आवेदन दिनांक 06.03.2026 के समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त करने तथा न्यायहित में याचिकाकर्ता को तत्काल मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि किसी गलतफहमी के कारण आवेदकगण के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और तत्पश्चात् पक्षकारों ने अपने विवाद का सौहार्दपूर्वक निपटारा कर लिया है। समझौता विलेख दिनांक 06.03.2026 को लिखित रूप में निष्पादित किया गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक संख्या 8 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षकारों के बीच एक-दूसरे के विरुद्ध कोई शिकायत शेष नहीं है और आवेदकगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चलाया जाना एक निरर्थक कवायद है, क्योंकि विचारण का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। ऐसी कार्यवाही आवेदकगण को अनावश्यक रूप से परेशान करने के समान होगी। अतः आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

दूसरी ओर, विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथन का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने समझौता विलेख के माध्यम से अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है तथा वर्तमान आवेदकगण के विरुद्ध विपक्षीगण की अब कोई शिकायत शेष नहीं है। अतः आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त/निरस्त की जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को उपर्युक्त कथनों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अब पक्षकारों ने वास्तव में आपस में समझौता किया है अथवा नहीं, इसका सर्वोत्तम रूप से निर्धारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते का संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इस न्यायालय ने चोट आख्या का अवलोकन किया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि घायल के शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर चोटें नहीं हैं। वर्तमान आवेदकगण का मामला नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2014) 6 एससीसी 466; कपिल गुप्ता बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) एवं अन्य, (2022) 15 एससीसी 44 तथा नौशे अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2025) 4 एससीसी 78 में प्रतिपादित निर्णयों के अनुपात से आच्छादित है।

तदनुसार, यह आवेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष यदि ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और तत्पश्चात् समझौते के सत्यापन की कार्यवाही करेगा। यदि उपर्युक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उक्त समझौते को अभिलेख का भाग बना दिया जाएगा।

उस स्थिति में संबंधित न्यायालय पक्षकारों को उक्त रिपोर्ट तथा समझौते की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा और आवेदकगण के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वे कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु पुनः इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तीन माह की अवधि के लिए, वाद संख्या 35276/2026, जो थाना कृष्णा नगर, जनपद लखनऊ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 2/2026, धारा 351(3), 109 एवं 3(5) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत मामले से उद्भूत है, के अनुसरण में प्रारंभ की गई कार्यवाही आवेदकगण के संबंध में स्थगित रहेगी।

विचारण न्यायालय को यह परीक्षण करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या आरोप-पत्र जिन सभी पक्षकारों के विरुद्ध दाखिल किया गया है, वे सभी पक्षकार समझौते में सम्मिलित हैं अथवा नहीं। इस संबंध में विचारण न्यायालय सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी प्रेषित करेगा। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि मूल समझौता विलेख की छायाप्रति अभिलेख पर सुरक्षित रखने के पश्चात्, यदि मूल समझौता विलेख उपलब्ध हो, तो उसे आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दिया जाए।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण उपर्युक्त इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 15.05.2026 के अनुपालन में दिनांक 04.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। पक्षकार विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुत समझौता दाखिल किया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं।

विचारण न्यायालय ने समझौते की वास्तविकता तथा उस पर पक्षकारों की सहमति सुनिश्चित करने के पश्चात् दिनांक 30.05.2026 को उक्त समझौते का सत्यापन कर दिया। वर्तमान याचिका में दाखिल शपथपत्र के साथ समझौते तथा न्यायालय के सत्यापन आदेश की प्रमाणित प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक संख्या-9 एवं 11 के रूप में संलग्न की गई हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिवादी संख्या-2/परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से अपनी सहमति व्यक्त की है तथा कहा है कि परिवादी और अभियुक्तगण के मध्य मामले में समझौता हो गया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार विचारण न्यायालय की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

पक्षकारों द्वारा मामले में समझौता किए जाने तथा इस न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त समझौते का न्यायालय द्वारा विधिवत् सत्यापन किए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, साथ ही मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, चोट की प्रकृति तथा मामले की अन्य संबद्ध परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त समझौता स्वीकार्य है।

फलतः, यह निर्देशित किया जाता है कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक वाद संख्या 35276 वर्ष 2026, जो वाद अपराध संख्या 2 वर्ष 2026, धारा 351(3), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना कृष्णा नगर, जनपद लखनऊ से उद्भूत है, की कार्यवाही निरस्त की जाती है।

इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

समझौते की शर्तों के अनुसार आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र)

दिनांक : 18 जून, 2026

एम.के.एस./

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।